संख्या-11/2019/1029/71-4-2019-एस-18/2014

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 23 अक्टूबर, 2019

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 300 बेडेड पुरूष छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-910/ई/यूपीयूएमएस/2019-20 दिनांक 17-06-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 300 बेडेड पुरूष छात्रावास के निर्माण हेतु पूर्व में अनुमोदित लागत रू0 2886.79 लाख के सापेक्ष अब तक निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	अनुदान सं0-31 के अन्तर्गत	अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत	कुल अवमुक्त धनराशि
1	17/4365/71-2-14-एस-18/2014 दिनांक 24.12.2014	783.21	0.00	783.21
2	229/71-15-एस-18/2014 दिनांक 23.02.2015	0.00	164.47	164.47
3	63/2015/2038/71-2-15-एस-18/2014 दिनांक 08.07.2015	488.80	0.00	488.80
4	67/2015/2758/71-2-15-एस-18/2014 दिनांक 06.08.2015	0.00	129.94	129.94
5	05/2016/4209/71-2-15-एस-18/2014 दिनांक 19.01.2016	232.03	0.00	232.03
6	6/2016/222/71-2-15-एस-18/2014 दिनांक 19.01.2016	0.00	61.68	61.68
	योग	1504.04	356.09	1860.13

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालय, के अन्तर्गत निर्माणाधीन 300 बेडेड पुरूष छात्रावास के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 2828.31 लाख (रू0 अट्ठाईस करोड़ अट्ठाईस लाख इकत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अनुदान संख्या-**31** से रू0 651.51 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 175.25 लाख अर्थात कुल रू0 826.76 लाख (रू0 आठ करोड़ छब्बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
3. प्रायोजना प्रस्ताव में लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

4. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रभाग द्वारा प्रयोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय का होगा।
6. प्रायोजना की लागत का आंकलन विश्वविद्यालय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जाय।
7. प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना? प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जाएगा।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
11. स्वीकृति धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
12. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-17/4365/71-2-14-एस-18/2014 दिनांक 24.12.2014 की शर्तें यथावत रहेंगी।
13. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के पूंजी लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गए अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 11/2019/1029(1)/71-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव